न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादडी, जिला–प्रतापगढ़(राज.)

प्रकरण संख्या– मु.फौ. /2019

इस्तगासा नं / एफ.आई.आर नं 56/19 (रे.फौ. 221/19)

पुलिस थाना – धोलापानी

दिनांक : 17-9-19

सहायक लोक अभियोजक उपस्थित/अनुपस्थित। इस्तगासा न/एफ.आई.आर संख्या 56/19 थाना धोलापानी मे जब्तशुदा ट्रेक्टर मय ट्राली जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-35 RA-5665 है, को सुपुर्दगी पर दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 8-9-19 को प्रार्थी विष्णु S/o गणेश मीणा R/o धामनीकलां की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री P.C. जाट प्रस्तुत हुआ। नकल दिलाई गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन – बीमा – DL मूल प्रस्तुत हुए, जिनकी एक–एक फोटो प्रतिया रिकॉर्ड पर रखी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अभिकथित किया कि उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी विष्णु मीणा है, उक्त वाहन की अनुसधान मे कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकरण के निस्तारण मे देर लगने की सम्भावना है। उक्त वाहन थाने में खुले मे पडे रहने से उसकी उपयोगिता में ह्रास होगा। प्रार्थी उसके उपयोग–उपभोग से वंचित रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जावे। बहस की रोशनी मे केस डायरी का अवलोकन किया गया।

वाहन की प्रकरण के अनुसंधान में आवश्यकता नही होना अनुसंधान अधिकारी द्वारा जाहिर किया गया है, प्रकरण के निस्तारण मे समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी ओर से अधिवक्ता ने वाहन का रजिस्ट्रेशन – बीमा – D.L. मूल प्रस्तुत हुए है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यो, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतएव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 द.प्र.स. एतद् अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर+ट्राली जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-35 RA 5665 है, को प्रार्थी को इन शर्तों पर सुपुर्दगी पर दिया जाता है, कि प्रार्थी वाहन को न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय, अन्तरित या अन्यसंक्रात नही करेगा। वाहन के आकार–प्रकार व रंग–रोगन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। जब भी वाहन को न्यायालय तलब करेगा, प्रार्थी वाहन को अपने खर्चे से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस बाबत प्रार्थी न्यायालय की सन्तुष्टि का रुपये 5,00,000/ पांच लाख रुपये का सुपुर्दगीनामा एवं इसी राशि का जमानतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करावे, तो उक्त वाहन अन्तरिम सुपुर्दगी पर प्रार्थी को सुपुर्द किया जावे। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने से पहले सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी/भारसाधक अधिकारी वाहन के तीन भिन्न कोणों से रंगीन चित्र प्रार्थी के खर्चे से खींचवा कर नतीजे का हिस्सा बनावे, साथ ही वाहन सुपुर्दगी की एक फर्द भी पृथक से तैयार करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर विविध दाण्डिक हो। वाहन के मूल दस्तावेज पुनः लौटाये गये। आदेश सुनाया गया।

आदेश की पालना मे सुपुर्दगीनामा एव जमानतनामा पेश किये, जो बाद जाच तस्दीक किए गए। कागजात शामिल फाइल रहे।

(हस्ताक्षर)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादडी, जिला–प्रतापगढ़(राज.)